निगरानी / टी.ए./6821/ 2002/बांरा
रामकल्याण जरिये कायम मुकाम बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23–1–26	**एकल–पीठ** **श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थी श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय उपजिला कलेक्टर बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं.2 मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर से पुजारी मु0 गुलाब बाई बेवा घासीलाल ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर बांरा के समक्ष प्रस्तुत किया जो खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उपजिला कलेक्टर बांरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा एवं जमाशुदा राशि रिसीवर से दिलाये जाने का निवेदन किया। उपंजिला कलेक्टर बांरा ने आलोच्य आदेश दिनांक 21–8–02 से तहसीलदार बांरा को रिसवरी की राशि गणना कर प्रार्थीगण से वसुल कर मंदिर की व्यवस्थार्थ खर्च कर लेखा जोखा तीन माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर मंदिर की तरफ से काश्त कर रहे है तथा रिसीवरी की राशि भी जमा कराने के लिये तैयार है इसलिये उन्हें वादग्रस्त भूमि पर लगातार काश्त करने की इजाजत दी जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आरआरडी 1999 पेज 89 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। 4. उपराजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी मंदिर मूर्ति की है जिस पर किसी को हक अधिकार हासिल नहीं होते। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में मंडल ने निर्णय दिनांक 3–10–79 से तहसीलदार बांरा को रिसिवर नियुक्त किया गया इसके पश्चात् मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। मूल वाद खारिज होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिसीवर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	से कब्जा दिलवाने एवं रिसीवरी के दौरान जमा राशि दिलवाने का अनुरोध किया। उपजिला कलेक्टर बांरा ने आलोच्य आदेश से विवादित आराजी मंदिर मूर्ति की मानते हुये रिसीवरी के दौरान जमा राशि को मूर्ति मंदिर की पूजा/सेवार्थ/विकास/जीर्णोद्धार/विकास/व्यवस्थार्थ हेतु विधिवत खर्च करने तथा उसका लेखा जोखा तीन माह में प्रस्तुत करने का आदेश तहसीलदार बांरा को दिया जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वे रिसीवरी राशि प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है वरन उनका निवेदन है कि वे विवादित आराजी पर निरंतर काश्त कर रहे है इसलिये उन्हें उक्त भूमि पर निरंतर काश्त करने की इजाजत दी जावे तथा वे काश्त की एवज में मूर्ति के मद में उचित न्यायोचित राशि अदा करने का तैयार है। 7. परिणामतः हस्तगत निगरानीएतद्द्वारा खारिज की जाती है। तहसीलदार बांरा को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1999 आरआरडी पेज 89 के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थीगण को नियमानुसार उचित/न्यायोचित राशि अदा करने पर विवादित आराजी पर निरंतर काश्त करने देवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदन लाल नेहरा) सदस्य	